

164 170

ज्ञापांक- २८७०/२८

पटना, दिनांक- २९/०५/२०१७

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- २८७०/२८

पटना, दिनांक-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

२९/०५/२०१७

प्रतिलिपि :- जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

२९/०५/१७

२९/०५/२०१७

166 172

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना -4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-खा0/पुर्न0/233/2016-17

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञा0 सं0-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों जो तसर (रेशमी) सूत कटाई का कार्य करती है, उनके बीच 600 (छः सौ) नग कटिया चरखा वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

02. उक्त संकल्प के कंडिका 05 में उल्लेखित शर्त के अनुसार निम्नलिखित संस्था/समिति द्वारा कटिया चरखा क्रय करने हेतु 50% रू0 2,99,250.00 (दो लाख निनावे हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम	आवंटित चरखा की संख्या	प्रति चरखा कीमत	चरखा की कुल कीमत	स्वीकृत राशि (चरखा की कुल कीमत का 50%)
1	राजिक खादी ग्रामोद्योग संघ, प्रधान कार्यालय ग्राम-शिवा,पो0-गनौली, भाया-अंधराढ़ाढी, जिला-मधुबनी, बिहार	30	4275.00	128250.00	64125.00
2	हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ, ग्राम-बैराघाट, पो0-सुगौना, भाया-राजनगर, जिला-मधुबनी	35	4275.00	149625.00	74812.50
3	सादिक ग्राम विकास संस्थान, ग्राम+पो0+थाना -पंडौल, जिला-मधुबनी	25	4275.00	106875.00	53437.50
4	आशिक शिक्षित बेरोजगार विकास संघ, हबिब मंजिल, वार्ड नं0-9, मोमिन टोला, पो0+जिला-मधुबनी	25	4275.00	106875.00	53437.50
5	कुलसुम मेमोरियल महिला विकास संस्थान, अंसारी टोला, भगवानपुर, पो0-सुगौना, भाया- राजनगर, जिला-मधुबनी	25	4275.00	106875.00	53437.50
कुल :-		140		598500.00	299250.00

03. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

04. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञा0 सं0-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 के कंडिका 03 में दिये गये शर्त के अनुसार ही कटिया चरखा क्रय करेंगे।

(i) संस्था को कटिया चरखा के लिये 90% अनुदान की राशि दी जायेगी तथा चरखा के कीमत का 10% राशि मार्जिन के रूप में खादी संस्था/समितियों को स्वयं वहन करना होगा।

(ii) कटिया चरखा का गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी-

(क) कटिया चरखा लोहे एवं आयरन का बना हो।

(ख) यह पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) हो।

(ग) चरखा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 200 से 250 ग्राम रेशमी सूत का कटाई करता हो।

165/21

- (घ) कटिया चरखा से कम से कम रू0 175-200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त होता हो।
- (ङ) चरखा का वनज कम से कम 24 किलोग्राम का हो।
- (iii) खादी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से कटिया चरखा के गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होकर ही चरखा का क्रय किया जायेगा।
- (iv) खादी संस्था/समिति को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आवंटित चरखा के कीमत का 50% राशि उपलब्ध कराया जायेगा। कटिया चरखा के संचालन के बाद इसकी गुणवत्ता (Specification) की जाँच खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा जाँच के बाद ही शेष 50% राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (v) खादी संस्थाओं को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा किया जायेगा।
- (vi) कटिया चरखा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधी सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

ज्ञापांक- २९१०/२८

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- २९/०५/२०१७

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- २९१०/२८

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- २९/०५/२०१७

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- २९१०/२८

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- २९/०५/१७

प्रतिलिपि :- उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम भुगतान करना सुनिश्चित करें।

ज्ञापांक- २९१०/२८

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- २९/०५/२०१७

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी